न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक –III/ निगरानी / अनूपपुर / भू–राजस्व / 2017 / 2557

श्री .... द्वारा आज दि. 4-8-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

जमुना प्रसाद पुत्र धन्नू राठौर निवासी सामतपुर तहसील व जिला अनूपपुर
-- प्रार्थी

बनाम

लोकनाथ पुत्र श्री रामसेवक राठौर निवासी ग्राम सामतपुर तहसील व जिला अनूपपुर
-- प्रतिप्राथी

प्रार्थना पत्र निगरानी विरूद्ध श्रीमान राजस्व निरीक्षक मण्डल अनूपपुर तहसील अनूपपुर के आदेश दिनांक 13.07.2016 में पारित प्रकरण क्र. 61/अ–12/2015–16 अंतर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता 1959

महोदय,

प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :–

(1) यह कि, श्रीमान प्रतिप्रार्थी के हित में किया गया सीमांकन धारा 129 के नियमों के विपरीत मनमाना एवं अनुचित होने से निरसन योग्य है ।

(2) यह कि, सीमांकन में प्रार्थी एवं सरहदी सभी कृषकों की उपस्थिति में एवं उनके सहमत हुये बिना किया गया है ।

(3) यह कि, प्रार्थी विवादित भूमि सर्वे कमांक 76/4–क/1 रकवा 0.21 हेक्टेयर स्थित ग्राम सामतपुर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रेताददन राम पुत्र ईश्वरी प्रसाद राठौर से द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.02. 1993 में क्रय किया तथा नामांतरण पटवारी कागजात में दर्ज है । प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि के बावत नक्शा दिनांक 03.05.1997 तरमीन भी कराई है ।

(4) यह कि, विवादित भूमि पर प्रार्थी का विवादित स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि पर लगभग 25 वर्षो से कब्जा है और खेती कर रहा है ।

क्रमशः––2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–तीन/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2017/2557

जमुना प्रसाद विरूद्ध लोकनाथ राठौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25–02–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया अभिभाषक उपस्थित। 3. आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल अनूपपुर तहसील अनूपपुर, जिला–अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 61/अ–12/2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 13–07–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 18–04–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 25/2/2019 सदस्य	